HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8695/2026
CNR: RJHC020541142026 | URN: CRLMB / 15916U / 2026

Gordhan Das Maheshwari S/o Late Gopal Lal Maheshwari, Aged About 72 Years, Residing at Plot 18, Bardiya Colony, Museum Road, Jaipur (Rajasthan).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Swadeep Singh Hora, Adv. with Mr. Naresh Kumar Sejvani, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Deepak Chauhan, Adv. with Mr. Harsh Joshi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**17.08.2026**
2.	**Order Reserved On:**	**17.08.2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**02.09.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना चित्रकूट, जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/2026, अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 471, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त वरिष्ठ नागरिक है, जो हायपरटेंशन, डायबिटीज एवं अन्य

गम्भीर बिमारियों से ग्रसित हैं, जिनके संबंध में उसका ईलाज चल रहा है। परिवादिया देवी नगर, न्यू सांगानेर जयपुर में निवास करती है और होटल राज पैलेस जोरावरसिंह गेट में कार्य करती है और उसने अपने प्रभाव का प्रयोग कर पुलिस थाना चित्रकूट, जयपुर (पश्चिम) में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है। परिवादिया का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन है कि उसने विट्ठल दास माहेश्वरी वित्तीय ब्रोकर के माध्यम से चालीस लाख रूपये पांच सितारा होटल का विकास करने के लिए उक्त होटल में 20 प्रतिशत का लाभ लेने एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स के रूप में नियुक्त करने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त गोरधन दास माहेश्वरी को दिये हैं, किन्तु उसने उक्त रूपये और उक्त लाभ प्राप्त नहीं किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने वर्ष 2017 में रिसोर्ट में निवेश के नाम पर परिवादिया को लाभ एवं हिस्सेदारी का आश्वासन देकर उससे रूपये प्राप्त किये हों यह गलत है। परिवादिया और प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य दीवानी प्रकृति का विवाद है। परिवादिया ने दिनांक 14.02.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस दिया था, जिसमें उसके द्वारा लेन–देन का उल्लेख किया गया था। उसका दीवानी वाद समय बाधित होने के कारण से उसने दीवानी प्रकरण को आपराधिक रंग देने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। परिवादिया द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 12ए के तहत मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी, लेकिन उसके द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय में प्रकरण संस्थित नहीं किया गया है। इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2026 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त ने अनुसंधान में भाग ले लिया है एवं आगे भी वह अनुसंधान में सहयोग करने लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्त का उद्देश्य कभी भी परिवादिया को धोखा देना या उसके साथ छल करने का नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आपराधिक प्रकण दर्ज होने के आधार पर उसे अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है एवं अन्य सिविल प्रकृति के वाद अन्य न्यायालयों में लम्बित है, उनमें से कई प्रकरणों का निर्णय हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक

अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Usha Chakraborty and Another Vs State of West Bengal and Another; (2023) 15 SCC 135; Order Dated 30.01.2023
2. Satender Kumar Antil Vs Central Bureau of Investigation and Another & Other Connected Matter; 2026 SCC OnLine SC 162; Order Dated 15.01.2026
3. Kamaljit Kaur & Anr. Vs The State of Punjab; Special Leave Petition (Crl.) No. 8495/2026; Order Dated 14.07.2026
4. Niraj Raj Garg Vs State of Rajasthan; S.B. Cri. Miscellaneous Second Bail Application No. 1802/1988; Order Dated 25.08.1988
5. Mohd. Wajid and Another Vs State of Uttar Pradesh and Others; (2023) 20 Supreme Court Cases 219; Order Dated 08.08.2023
6. Ankit Mishra Vs State of Madhya Pradesh and Another; 2025 SCC Online SC 809; Order Dated 17.04.2025
7. Satishchandra Ratanlal Shah Vs State of Gujarat and Another; (2019) 9 SCC 148; Order Dated 03.01.2019
8. Madanlal Pareek Vs State of Rajasthan & Another; S.B. Criminal Misc. (Pet.) No. 776/2018; Order Dated 18.09.2024
9. Rikhab Birani & Anr. Vs State of Uttar Pradesh & Anr.; SLP (Crl.) No. 8592/2024; Order Dated 16.04.2025
10. Mohammed Ibrahim and Others Vs State of Bihar and Another; (2009) 8 SCC 751; Order Dated 04.09.2009

11. Rekha Sharad Ushir Vs Saptashrungi Mahila Nagari Sahkari Patsansta Ltd.; Criminal Appeal No. 724/2025; Order Dated 26.03.2025

12. Shally Mahant @ Sandeep Vs State of Punjab; SLP (CRL.) No. 20/2026; Order Dated 09.02.2026

13. Bijender Vs State of Haryana; SLP (Crl.) No(s) 1079/2024; Order Dated 06.03.2024

14. G. Saminathhan & Another Vs The State, Represented by the Sub-Inspector of Police & Another; Special Leave Petition (Criminal) No. 10294/2025; Order Dated 31.07.2026

15. Satyanarayan Gupta Vs State of Rajasthan through P.P ; S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3990/2025; Order Dated 12.08.2026

16. Simara Foods Pvt. Ltd Vs State of Rajasthan & Another; S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 4109/2023; Order Dated 10.05.2024

17. Gordhan Das Maheswari Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8695/2026

18. Gurdeep Singh Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2762/2026; Order Dated 18.02.2026

परिवादिया के विद्वान अभिभाषक एवं विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया के साथ धोखाधडी करने की नियत से रिसोर्ट एवं स्पा में राशि निवेश करने पर उसे रिसोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने एवं 20 प्रतिशत मुनाफा राशि देने का झांसा देकर उससे चालीस लाख रूपये प्राप्त कर लिये, किन्तु ना ही उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया और ना ही मुनाफा राशि का भुगतान किया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 04 अन्य समान प्रकृति के प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में लम्बित है, जिनमें प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य लोगों को भी धोखा देकर

पैसा हडप रखा है, जिसके संबंध में विभिन्न लोगों ने प्रार्थी/अभियुक्त एवं उसके पुत्र नवनीत माहेश्वरी के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद संस्थित कर रखे हैं, अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण के समान प्रकृति वाले प्रकरणों में अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान नहीं किया है। प्रकरण सिविल प्रकृति का नहीं है एवं आपराधिक छल एवं आपराधिक न्यास भंग का है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रारम्भ से ही परिवादिया को रूपये देने का आशय नहीं था और उसने विभिन्न अवसरों पर लाभ की कुछ राशि अदा की है और चालीस लाख रूपये पर ना तो लाभ प्रदान किया, ना ही कम्पनी की शेयर होल्डिंग देने और ना ही उनकी मूल रकम वापस दी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस ने धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित माना है। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये गयेः–

1. Punit Beriwala Vs State of NCT of Delhi and Others; 2025 SCC OnLine SC 983; Order Dated 29.04.2025
2. Pradipto Ganguly Vs The State of Haryana; Special Leave to Appeal (Crl.) No. 11304/2024; Order Dated 23.09.2024
3. S.N. Vijayalaksmi & Ors. Vs State of Karnataka & Anr.; Special Leave Petition (Criminal) No. 8626/2024; Order Dated 31.07.2025
4. K. Jagadish Vs Udaya Kumar G.S. and Another; (2020) 14 SCC 552; Order Dated 10.01.2020
5. Kathyayini Vs Sidharth P.S. Reddy & Ors.; SLP (CRL.) No. 1105/2024; Order Dated 14.07.2025

6. Balwinder Singh Vs State of Punjab; Special Leave Petition (Criminal) No. 31375/2024; Order Dated 05.08.2024

परिवादिया के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने के संबंध में सूची का अवलोकन करवाया गया, जिसमें निम्न प्रकरण उल्लेखित थेः–

मेट्रो–प्रथम

1.	DJ-1st	सुभांजी गोखक बनाम गोवर्धनदास	12.11.2025
2.	DJ-3rd	विनय कुमार गोखक बनाम गोवर्धनदास	12.11.2025
3.	DJ-3rd	सलील बोथरा बनाम गोवर्धनदास	18.11.2025
4.	ADJ-5 Ist	सतीश चन्द बनाम गोवर्धनदास	15.11.2025
5.	ADJ-3 Ist	मुन्द्रा रायन राज ट्रस्ट बनाम गोवर्धनदास	15.11.2025
6.	ADJ-6 Ist	ललित पाटनी बनाम गोवर्धनदास	27.11.2025
7.	ADJ-1 Ist	राजेन्द्र मूंदड़ा बनाम गोवर्धनदास	25.11.2025
8.	ADJ-7 Ist	शिमला मूंदड़ा बनाम गोवर्धनदास	25.11.2025
9.	ADJ-1 Ist	शिमला मूंदड़ा बनाम गोवर्धनदास	25.11.2025
10.	ACJM-8 Ist	स्टेट बनाम गोवर्धनदास	07.11.2025
11.	ADJ-5 Ist	ताराचन्द चौधरी बनाम गोवर्धनदास	14.11.2025
12.	ADJ-5 Ist	आशुतोष चौधरी बनाम गोवर्धनदास	14.11.2025
13.	ADJ-5 Ist	शांतिलाल ताम्बी बनाम गोवर्धनदास	20.11.2025
14.	ADJ-5 Ist	अनिता भंसाली बनाम गोवर्धनदास	11.11.2025
15.	ADJ-4 Ist	विनायक गट्टानी बनाम गोवर्धनदास	28.11.2025
16.	ADJ-6 Ist	राजकुमार जैन बनाम गोवर्धनदास	06.11.2025
17.	ADJ-3 Ist	रिशम कालरा बनाम गोवर्धनदास	06.11.2025
18.	ADJ-5 Ist	अर्चित अग्रवाल बनाम गोवर्धनदास	11.11.2025
19.	ADJ-5 Ist	अमित अग्रवाल बनाम गोवर्धनदास	11.11.2025
20.	NJ-10 Ist	आई.आई.एफ.एल. बनाम नवनीत	20.12.2025
21.	NJ-10 Ist	चोलामप्रलयय बनाम नवनीत	17.01.2026
22.	ACJM-7 Ist	स्टेट (ताराचन्द) बनाम नवनीत	07.11.2025
23.	ADJ-5 Ist	ललित पाटनी बनाम नवनीत	04.11.2025
24.	DJ-7	जुही कट्टा बनाम गोवर्धनदास	10.11.2025

मेट्रो–द्वितीय

1.	ADJ-8 IInd	अभिषक चितलगियां बनाम गोवर्धनदास	29.11.2025
2.	ADJ-8 IInd	ओमप्रकाश अग्रवाल बनाम गोवर्धनदास	09.12.2025
3.	ADJ-8 IInd	कमल सिंह वैद्य बनाम गोवर्धनदास	
4.	ADJ-2 IInd	(फैसला) क्षितिज कोठारी बनाम गोवर्धनदास, फैसला	29.08.2025
5.	ADJ-2 IInd	(दावा) क्षितिज कोठारी बनाम गोवर्धनदास, फैसला	04.10.2025

6.	ADJ-2 IInd	(इकराय) रेखा कोठारी बनाम गोवर्धनदास, फैसला	29.08.2025
7.	ADJ-2 IInd	(दावा) रेखा कोठारी बनाम गोवर्धनदास, फैसला	04.10.2023
8.	ADJ-3 IInd	अन्जू मुखीजा बनाम गोवर्धनदास	08.12.2025
9.	ADJ-3 IInd	अन्जू मुखीजा बनाम गोवर्धनदास	08.12.2025
10.	ADJ-7 IInd	अकिंत गोखक बनाम नवनीत	11.12.2025
11.	ADJ-7 IInd	तारा गोखक बनाम नवनीत	11.12.2025
12.	DJ-ADJ-7 IInd	रेहास उल्ला बनाम गोवर्धनदास	14.11.2025
13.	ACJM-1 IInd	जुगलकिशोर मालपानी बनाम गोवर्धनदास, फैसला	07.01.2023
14.	ACMM-3 IInd	मैसर्स टेलर बर्ड बनाम गोवर्धनदास, फैसला	05.07.2019

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कहने पर की उसके द्वारा सम धनाना रोड, पुलिस लाईन, जैसलमेर किशनघाट में रिसोर्ट एवं स्पा का निर्माण करवाया जा रहा है और यदि परिवादिया उक्त रिसोर्ट में निवेश करती है तो उसे रिसोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करेंगे, एक स्वीट उसके लिए हमेशा बुक रहेगा और उसे एस.एच. भी बनाया जायेगा और 20 प्रतिशत लाभ रिसोर्ट चालू होने पर उसे दे दिया जायेगा। परिवादिया ने अपने एवं अपने पति के जीवनकाल में अर्जित सम्पूर्ण जमा राशि एवं लोगों से उधार राशि लेकर, प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त प्रोजेक्ट में चालीस लाख रूपये निवेश कर दिये। परिवादिया का प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन है कि दिनांक 15.09.2017 से दिनांक 07.07.2018 तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे मुनाफा दिया गया और उसके बाद उसने मुनाफा देना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया एवं उसने रिसोर्ट को मैरियट प्रबंधन को दे दिया, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं किया और ना ही 20 प्रतिशत शेयर हॉल्डिंग का मुनाफा दिया। परिवादिया का प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त के मन में प्रारम्भ से ही बदनियति और उसके साथ धोखाधडी करने की नियत थी।

प्रकरण में अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने राधे गोविन्द कृपा प्राईवेट लिमिटेड के नाम से सम धनाना रोड, पुलिस

लाईन, जैसलमेर में 20 बीघा जमीन खरीदी एवं 137 कमरों के पांच सितारा होटल का निर्माण कार्य कर उस होटल को चलाने हेतु मैरियटल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया और उक्त राधे गोविन्द कृपा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में प्रार्थी/अभियुक्त, उसकी पत्नी एवं पुत्र नवनीत माहेश्वरी डायरेक्टर हैं तथा कम्पनी की 48 प्रतिशत शेयर हॉल्डिंग प्रार्थी/अभियुक्त के पास है तथा बाकी 52 प्रतिशत की शेयर हॉल्डिंग परिवार के अन्य सदस्यों के पास है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि परिवादिया ने अपने एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाते से प्रार्थी/अभियुक्त के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के खातें में दिनांक 24.08.2017 को चालीस लाख रूपये की राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अंतरित की है, ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया यह माना जा सकता है कि चालीस लाख रूपये की राशि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया से प्राप्त की एवं वस्तुतः उक्त राशि निवेश करने के बदले में परिवादिया को 20 प्रतिशत शेयर हॉल्डिंग मुनाफा, एक स्वीट देना एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसे शामिल करने का कोई समझौता परिवादिया और प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य हुआ या नहीं यह साक्ष्य की विषयवस्तु है, जिसका अवधारण विद्वान विचारण न्यायालय गुणावगुण पर कर सकता है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादिया से लिये गये चालीस लाख रूपये का उसे ब्याज विभिन्न दिनांकों पर विभिन्न राशि देकर कुल 5,56,000/– रूपये दिनांक 09.07.2018 तक परिवादिया के खाते में जमा करा दिये गये एवं उसके पश्चात् परिवादिया को ब्याज देना बंद कर दिया और विभिन्न तारीखों पर कुल 9,00,000/– रूपये की मूल राशि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया को दी, जो राशि 9,00,000/– रूपये मूल राशि मुनाफे के रूप में दी गई, उससे प्रथमदृष्टया यह माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया द्वारा दिये गये चालीस लाख रूपये मय ब्याज परिवादिया को प्रदान नहीं किये और ना ही अदा किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की। प्रार्थी/अभियुक्त को मूल रकम या ब्याज या मुनाफा या हिस्सेदारी दिये जाने में कोई परेशानी थी तो इस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादिया को नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह नहीं कहा जा

सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त का उद्देश्य परिवादिया को पैसे देने का रहा हो। परिवादिया ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उसके मन में प्रारम्भ से ही परिवादिया के साथ धोखाधडी करके उसके चालीस लाख रूपये हडपने का आरोप लगाया है, यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्टया बनना पाया है और अनुसंधान शेष होना भी बताया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के समान प्रकृति के 04 प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में लम्बित रहे हैं। इसके अतिरिक्त परिवादिया के विद्वान अभिभाषक ने इस न्यायालय के अवलोकनार्थ, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की जो सूची प्रस्तुत की है, उसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कई सिविल प्रकरण सिविल न्यायालयों में लम्बित चल रहे हैं, उन सिविल प्रकरणों में भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादीगण से रूपये लेकर वापस नहीं दिये जाने के तथ्य बताये गये हैं और उक्त वादीगण द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से रूपयों की वसूली के उद्देश्य से उक्त सिविल प्रकरण संस्थित किये गये हैं एवं 06 प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र नवनीत माहेश्वरी के विरूद्ध संस्थित किये जाना बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Balwinder Singh Vs State of punjab; Special Leave Petition (Criminal) No. 31375/2024; Order Dated 05.08.2024 के पैरा संख्या 3 में यह उल्लेखित किया है किः–

> *3. Considering that the petitioner has a long list of criminal antecedents against him and has similar cases, we are not inclined to interfere in the matter and grant anticipatory bail. The Special Leave petition is dismissed.*

उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की समान प्रकृति के 04 प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज होने तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कई सिविल प्रकरण सिविल न्यायालयों में लम्बित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक प्रकरण सिविल प्रकृति का है या नहीं या सिविल प्रकृति के प्रकरण को आपराधिक रंग देने के लिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है, इस तथ्य का निर्धारण अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य का निर्धारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर साक्ष्य पश्चात् ही अभिनिर्धारित किया जा सकता है। सिविल प्रकृति के प्रकरणों में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सिविल प्रकरणों में आपराधिक कार्यवाही केवल आपराधिक तथ्य विद्यमान होने पर ही की जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kathyayini Vs Sidharth P.S. Reddy & Ors.; SLP (CRL.) No. 1105/2024 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 के पैरा संख्या 19 व 20 को यहां उल्लेखित किया जाना उचित प्रतीत होता हैः–

> **19.** *We now come to the issue of bar against prosecution during the pendency of a civil suit. We hereby hold that no such bar exists against prosecution if the offences punishable under criminal law are made out against the parties to the civil suit. Learned senior counsel Dr. Menaka Guruswamy has rightly placed the relevant judicial precedents to support the above submission. In the case of K. Jagadish v. Udaya Kumar G.S. and another, this Court has reviewed its precedents which clarify the position. The relevant paragraph from the above judgment is extracted below:*
>
> > *"8. It is thus well settled that in certain cases the very same set of facts may give rise to remedies in civil as well as in criminal proceedings and even if a civil remedy is availed by a party, he is not precluded from setting in motion the proceedings in criminal law."*
>
> **20.** *In Pratibha Rani v. Suraj Kumar and another4, this Court summed up the distinction between the two remedies as under :*
>
> > *"21. ... There are a large number of cases where criminal law and civil law can run side by side. The two remedies are not mutually exclusive but clearly coextensive and essentially*

differ in their content and consequence. The object of the criminal law is to punish an offender who commits an offence against a person, property or the State for which the accused, on proof of the offence, is deprived of his liberty and in some cases even his life. This does not, however, affect the civil remedies at all for suing the wrongdoer in cases like arson, accidents, etc. It is an anathema to suppose that when a civil remedy is available, a criminal prosecution is completely barred. The two types of actions are quite different in content, scope and import. It is not at all intelligible to us to take the stand that if the husband dishonestly misappropriates the stridhan property of his wife, though kept in his custody, that would bar prosecution under Section 406 IPC or render the ingredients of Section 405 IPC nugatory or abortive. To say that because the stridhan of a married woman is kept in the custody of her husband, no action against him can be taken as no offence is committed is to override and distort the real intent of the law."

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा K. Jagadish Vs Udaya Kumar G.S. and Another; (2020) 14 SCC 552 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 के पैरा संख्या 10 व 11 को यहां उल्लेखित किया जाना उचित प्रतीत होता हैः–

10. *In Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi) [Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi), (1999) 3 SCC 259 : 1999 SCC (Cri) 401] this Court observed: (SCC p. 263, paras 10-12)*

"10. *It may be that the facts narrated in the present complaint would as well reveal a commercial transaction or money transaction. But that is hardly a reason for holding that the offence of cheating would elude from such a transaction. In fact, many a cheatings were committed in the course of commercial and also money transactions. One of the illustrations set out under Section 415 of the Penal Code, 1860 [Illustration f] is worthy of notice now:*

'(f) A intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and

thereby dishonestly induces Z to lend him money, A not intending to repay it. A cheats.'

11. *The crux of the postulate is the intention of the person who induces the victim of his representation and not the nature of the transaction which would become decisive in discerning whether there was commission of offence or not. The complainant has stated in the body of the complaint that he was induced to believe that the respondent would honour payment on receipt of invoices, and that the complainant realised later that the intentions of the respondent were not clear. He also mentioned that the respondent after receiving the goods had sold them to others and still he did not pay the money. Such averments would prima facie make out a case for investigation by the authorities.*

12. *The High Court [Gagan Kishore Srivastava v. State, 1998 SCC OnLine Del 625 : (1998) 47 DRJ 438] seems to have adopted a strictly hypertechnical approach and sieved the complaint through a colander of finest gauzes for testing the ingredients under Section 415 IPC. Such an endeavour may be justified during trial, but certainly not during the stage of investigation. At any rate, it is too premature a stage for the High Court to step in and stall the investigation by declaring that it is a commercial transaction simpliciter wherein no semblance of criminal offence is involved."*

11. *The aforesaid view was reiterated in Kamaladevi Agarwal v. State of W.B. [Kamaladevi Agarwal v. State of W.B., (2002) 1 SCC 555 : 2002 SCC (Cri) 200] as under: (SCC p. 561, para 9)*

"9. *Criminal prosecution cannot be thwarted at the initial stage merely because civil proceedings are also pending. After referring to judgments in State of Haryana v. Bhajan Lal [State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 : 1992 SCC (Cri) 426] and Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi) [Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi), (1999) 3 SCC 259 : 1999 SCC (Cri) 401] this Court in Trisuns Chemical Industry v. Rajesh Agarwal [Trisuns Chemical Industry v. Rajesh Agarwal, (1999) 8 SCC 686 : 2000 SCC (Cri) 47] held: (SCC p. 690, paras 7-8)*

> '7. *Time and again this Court has been pointing out that quashing of FIR or a complaint in exercise of the inherent powers of the High Court should be limited to very extreme exceptions [vide State of Haryana v. Bhajan Lal [State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 : 1992 SCC (Cri) 426] and Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi) [Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi), (1999) 3 SCC 259 : 1999 SCC (Cri) 401]].*
>
> 8. *In the last referred case this Court also pointed out that merely because an act has a civil profile is not sufficient to denude it of its criminal outfit. We quote the following observations: (Rajesh Bajaj case [Rajesh Bajaj v. State (NCT of Delhi), (1999) 3 SCC 259 : 1999 SCC (Cri) 401] , SCC p. 263, para 10)*
>
> > "10. *It may be that the facts narrated in the present complaint would as well reveal a commercial transaction or money transaction. But that is hardly a reason for holding that the offence of cheating would elude from such a transaction. In fact, many a cheatings were committed in the course of commercial and also money transactions."*

ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण से संबंधित समान प्रकृति के 04 अन्य प्रकरण दर्ज होने, विभिन्न व्यक्तियों से रूपये लेकर रूपये वापस नहीं देने से रूपयों की वसूली से संबंधित विभिन्न सिविल प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने, अनुसंधान में उसकी आवश्यकता होने, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोरधन दास माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल माहेश्वरी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

94(S)/AKSHAY KUMAR PAREEK/Res.